

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(वित्त एवं व्यय)

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 20/2017

परिपत्र संख्या 19/2017 का शुद्धि-पत्र

वित्त एवं व्यय परिपत्र संख्या 19/2017 दिनांक 25.08.2017 द्वारा विभिन्न अधिकारियों को आकस्मिक व्यय के संबंध में वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं। ऊपर वर्णित परिपत्र के संबंध में विभिन्न अधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियों को अब निम्न प्रकार पढ़ा/माना जाए :-

मद	अधिकारियों को प्रदत्त वर्तमान वित्तीय शक्ति	वित्तीय सीमा [आवर्ती और गैर आवर्ती के संबंध में]	अधिकारियों को प्रदान की गई संशोधित वित्तीय शक्ति	वित्तीय सीमा [आवर्ती और गैर आवर्ती के संबंध में]
आकस्मिक व्यय [आवर्ती और गैर आवर्ती]	उपाध्यक्ष	पूर्ण शक्तियाँ	उपाध्यक्ष	पूर्ण शक्तियाँ
	वित्त सदस्य	पूर्ण शक्तियाँ	वित्त सदस्य	पूर्ण शक्तियाँ
	अभियंता सदस्य	पूर्ण शक्तियाँ	अभियंता सदस्य	पूर्ण शक्तियाँ
	आयुक्त एवं सचिव	20.00 लाख रुपये की वार्षिक सीमा की शर्त पर एक बारगी 2.00 लाख रुपये	आयुक्त एवं सचिव	20.00 लाख रुपये की वार्षिक सीमा की शर्त पर एक बारगी 2.00 लाख रुपये
	मुख्य सतर्कता अधिकारी/प्रधान आयुक्त(भूमि प्रबंधन)/प्रधान आयुक्त (भूमि निपटान)/मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य विधि सलाहकार	5 लाख रुपये की वार्षिक सीमा की शर्त पर एक बारगी 50,000 रुपये	सभी प्रधान आयुक्त/मुख्य सतर्कता अधिकारी/मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य विधि सलाहकार	5 लाख रुपये की वार्षिक सीमा की शर्त पर एक बारगी 50,000 रुपये

वित्त एवं व्यय परिपत्र सं. 18/2016, शुद्धि-परिपत्र संख्या 20/2016 और परिपत्र संख्या 28/2016 की अन्य निबंधन एवं शर्तें वहीं रहेंगी।

यह परिपत्र उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

(संतोष कुमार)
मुख्य लेखा अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. उपाध्यक्ष महोदय / वित्त सदस्य / अभियंता सदस्य के निजी सचिव को उनके सूचनार्थ ;
2. सभी प्रधान आयुक्त;
3. मुख्य सतर्कता अधिकारी;
4. आयुक्त एवं सचिव / मुख्य विधि सलाहकार;
5. निदेशक (भूमि प्रबंधन) / निदेशक (नजारत) / वित्त सलाहकार (आवास) / निदेशक (भूमि लागत निर्धारण);
6. उप मुख्य लेखा अधिकारी (मुख्यालय)-I / उप मुख्य लेखा अधिकारी (बजट) / उप मुख्य लेखा अधिकारी (लेखा);
7. वरिष्ठ लेखा अधिकारी (आकस्मिक व्यय);
8. गार्ड फाइल ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
(वित्त एवं व्यय)